# समाहरणालय, पटना।
## (शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (
फैक्स न0–0612–221
Email : dampatnaarmssection@gmail.
dm-patna.bih@ni

## –: आदेश :–

16-08-2013

आवेदक **श्री तौसीफ अली उसमानी,** पिता–स्व0 मोहम्मद रकीब, सा0–कुतपुपुर, पो बहपुरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञ आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–477/2010 कायम करते हुए वरीय पुलि अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–16.08.2013 निर्धारित की गई

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–16.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्र में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कृषक हैं तथा व्यवसाय भी करते तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुर किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1834/गो0, दिनांक–16.12.2010 द्व आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, क अनुशंसा अंकित नहीं है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक–7388/1 दिनांक–12.12.2010 द्वारा थानाध्यक्ष, बिहटा एवं पुलिस निरीक्षक, बिहटा अंचल के अग्रसार एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसित कर हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, बिहटा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कृषक हैं तथा व्यवसाय भी करते हैं। आवेदक के पिता स्व0 मो0 रकीब के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित एक डी0बी0बी0एल0 गन को अपने अनुज्ञप्ति पर प्राप्त करना चाहते है। तदोपरा उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध कि गया। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं कि गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदि करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकि इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

आवेदक द्वारा पटना उच्च न्यायालय, पटना में अपील याचिका दायर किया गय सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–22177/2012 मो0 तौसिफ अली उसमानी बनाम राज्य सरकार एवं अ है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दि0–05.12.2012 को पारित आदेश के आलोक जिला दण्डाधिकारी, पटना के उक्त आदेश को "Reasonable Time" में उक्त शस्त्र अनुज्ञ आवेदन पत्र पर निर्णय लेने का निदेश दिया गया था।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेद की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाध ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेग अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझ और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अ

बन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री तौसीफ अली उसमानी, पिता–स्व0 मोहम्मद रकीब, सा0–कुतपुपुर, पो0– बहपुरा, थाना–बिहटा, जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।